संख्या-29/2016/1584/33-3-2016-100(13)/2015

प्रेषक,

महेन्द्र कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 05 जुलाई, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 अनुदान संख्या- 83 में आयोजनागत मद में बहु उद्देशीय पंचायत भवनोंके निर्माण (जिला योजना) हतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 384.12 लाख अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/2115/2015-5/155/2015, दिनांक 09 जून, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में बहु उद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 384.12 लाख (रूपये तीन करोड़ चौरासी लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन, जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार, श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2016-17 की अवधि में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में 2016-17 एवं इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा इस धनराशि को ग्राम पंचायत निधि में जमा कराकर व्यय किया जायेगा। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को नियमानुसार निर्धारित रूप पत्र पर उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व पंचायत भवन के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए तथा मानचित्र सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराकर उसके अनुसार निर्माण कराया जायेगा।

(4) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-06- बहु उद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना) -24 वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस'2008-मित-1/2007, दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(9) प्रशासनिक विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना पूर्व से संचालित किसी अन्य योजना से आच्छादित /स्वीकृत न हो और न ही किसी अन्य प्रस्तावित योजना से आच्छादित /स्वीकृत हो।

(10) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर

लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

(12) प्रश्नगत पंचायत भवन के मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत परियोजना का संबंधित जनपद के एस.ओ.आर. पर विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने/ प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(13) बहु उद्देशीय पंचायत भवन के निर्माण की निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्ता युक्त कार्य की देखरेख एवं उसकी समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा और नामित नोडल अधिकारी प्रतिमाह निर्माण की प्रगति से शासन/ निदेशालय को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जायेगा।

(14) जनपद स्तर पर जिस ग्राम में बहु उददेशीय भवन का निर्माण किया जाना है उसका चिन्हीकरण होने के बाद चिन्हित ग्रामों की सूची शासन/ निदेशक को भेजा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- समस्त संबंधित कोषाधिकारी उ0प्र0।
5- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
6- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 मं बहु उद्देशीय पंचायत भवन के निर्माण हेतु आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि

अनुदान संख्या-83 **(धनराशि लाख रू0 में)**

क्र.सं.	जनपद का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायत जिसमें पंचायत निर्मित है	ग्राम पंचायत जिसमें पंचायत भवन निर्मित नहीं है।	कुल पंचायत भवन के सापेक्ष निर्मित कराये गये पंचायत भवनों का प्रतिशत	अनुदान संख्या-83 में प्रस्तावित पंचायत भवनों की संख्या एवं प्रस्तावित धनराशि		पंचायत भवन निर्माण किये जाने हेतु आवंटित धनराशि
						लक्षित पंचायत भवनों की संख्या	प्रति पंचाचत भवन रू0-17.46 लाख की दर से प्रस्तावित धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	16
1	लखनऊ	570	463	107	81.23	1	17.460	17.460
2	कौशाम्बी	498	397	101	79.72	1	17.460	17.460
3	सीतापुर	1601	918	683	57.34	1	17.460	17.460
4	हरदोई	1308	803	505	61.39	1	17.460	17.460
5	उन्नाव	1044	746	298	71.46	1	17.460	17.460
6	रायबरेली	989	690	299	69.77	1	17.460	17.460
7	झांसी	496	341	155	68.75	1	17.460	17.460
8	औरैया	477	74	403	15.51	1	17.460	17.460

9	जालौन	575	540	35	93.91	1	17.460	17.460
10	बाराबंकी	1169	726	443	62.10	1	17.460	17.460
11	मिर्जापुर	809	704	105	87.02	1	17.460	17.460
12	खीरी	1167	658	509	56.38	1	17.460	17.460
13	कानपुर नगर	590	525	65	88.98	1	17.460	17.460
14	चित्रकूट	335	289	46	86.27	1	17.460	17.460
15	महोबा	273	242	31	88.64	1	17.460	17.460
16	इटावा	471	296	175	62.85	1	17.460	17.460
17	अम्बेडकरनगर	930	467	463	50.22	1	17.460	17.460
18	कानपुर देहात	640	432	208	67.50	1	17.460	17.460
19	आजमगढ़	1872	966	906	51.60	1	17.460	17.460
20	फतेहपुर	840	341	499	40.60	1	17.460	17.460
21	हाथरस	474	263	211	55.49	1	17.460	17.460
22	सहारनपुर	887	543	344	61.22	1	17.460	17.460
महायोग		**18015**	**11424**	**6591**	**63.41**	**22**	**384.120**	**384.120**

(तीन करोड़ चैरासी लाख बारह हजार मात्र)

नोट:- उक्त आवंटन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सबसे अधिक प्रतिशत वाले जनपद के आरोही क्रम में आवंटन किया गया है।